न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 21/2020

उनवान

सुभाष पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी ढाणी अठकूडी ग्राम टोडी तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1 लक्ष्मण पुत्र गणेश
2 नाथू पुत्र भौरियां
3. नानगराम पुत्र प्रभू
4. नाथू पुत्र बोदू समस्त जाति जाट निवासी ढाणी अठकुडी ग्राम टोडी तहसील शाहपुरा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 15/12/21

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 7099/6135 रकबा 0.1950 है0, वाके ग्राम टोडी तहसील शाहपुरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका दिनांक 22.11.2019 को सीमाज्ञान करवाया गया है। उक्त प्रार्थी की भूमि के पास ख0नं0 1003/1, 1004/1, 1005, 1006, 1007/1 अप्राथीगण की खातेदारी भूमि स्थित है । प्रार्थी की भूमि को अप्रार्थीगण दिनांक 1.7.2020 को सीमाज्ञान पश्चात सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया है तथा उलाहना दिया जो गैर प्रार्थीगण सं0 1 लगा।0 4 यह कहते हुए प्रार्थी को गाली गलोच करने पर उतारू हो गये कि सीमाज्ञान के बारे में पटवारी हल्का द्वारा दी गई जानकारी वर्षात से नष्ट हो गयी है इस कारण, जो भी कार्य हम गैर प्रार्थीगण यने किया है वह सही है और यदि तुम प्रार्थी को कोई आपत्ति है तो सीमा का निश्चयीकरण करवा लो अन्यथा हक सीमाज्ञान की सीमा वर्षात के कारण असन्तुष्ट हो गये है । प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की सीसमओ यका निश्चयकीकरण विधि की व्यवस्था में निर्धारित प्रकिया से कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि अपनी भूमि का सही रूप से उपयोग कर सकें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रश्नागत अरिाजी पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही कभी लगान जमा करवाया है प्रार्थी ने उक्त प्रश्नागत आराजी के मुकदमें बाजी के विवरण को छिपाया है ।प्रार्थी ने उक्त विवादित भूमि का पटवारी हल्का से मिलीभगत कर बिना मौके पर गये फौरी तोर से सीमाज्ञान की फर्द बनवाई है तथा गैरप्रार्थीगण के सीर्माज्ञान की फर्द पर हस्ताक्षर नहीं है । अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में यह भी जाहिर किया कि जब उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं0 4 का ही कब्जा काश्त है तो प्रार्थी द्वारा सीगाज्ञान करवाये जाने का कोई औचित्य नहीं है,प्रार्थी सीमाज्ञान करवाये जाने का कोई औचित्य नहीं है, प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान का फायदा उठाकर ताकत के बल पर राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से उक्त विवादित भूमि पर काबिज होना चाहता है। अन्त में अप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि विवादित आराजी ख0नं0 6135 रकबा 0.39 है0 ग्राम टोडी तहसील शाहपुरी में स्थित है उक्त ख0नं0 के 1/2 भाग की भूमि महावीर, मामराज पुत्र स्व0 भैरूराम ने बिना कब्जा लिये गलत रू पससे खरीद की थी । महावीर व मामराज का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होने पर इन्होनें प्रार्थी सुभाष को बिना कब्जा दिये उक्त भूमि का विकय पत्र तस्दीक करवाया है जो सुभाष ताकत के वल पर उक्त भूमि पर काबिज होना चाहता है। ख0नं0 6135 के बाबत हुये बंटवारे की डिकी की अपील मान्य राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष उनवारी प्रभू बनाम महावीर लम्बित है। तथा राजस्व अपील अधिकारी का डिकी दिनांक 17.10.2019 की क्रियान्विती स्थगित की जा चुकी है, साथ ही मान्य न्यायालय एसीएम व सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर अवगत कराते हुए जाहिर किया कि प्रकरण में मात्र दिनांक 17.10.2019 की कियान्विति पर स्थगन आदेश जारी किया गया है तथा प्रकरण में उक्त आदेश दिनांक 17.10.2019 की कियान्विति होने से पत्थरगढ़ी किया जाना उचित है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में वकील प्रार्थी की बहस का खण्ड़न करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर जाहिर किया कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां से स्थगत आदेश पारीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 27.11.2019 को सीमाज्ञान किया गया है तथा प्रार्थी अपने सुखाधिकार एवं भूमि की रक्षा व सींव डोल की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान करवाना चाहता है लेकिन प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से पेश दस्तावेज से यह भी जाहिर है कि प्रकरण राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां विचाराधीन है तथा माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 17.10.2019 की कियान्विति पर स्थगन आदेश पारीत किया गया है जो आदिनांक जैरकार है या नहीं पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को ओदश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नम्बर 7099/6135 रकबा 0.1950 है0, वाके ग्राम टोडी तहसील शाहपुरा का दिनांक 27.11.2019 को हुये सीमाज्ञान के मुताबिक यदि किसी न्यायालय का स्थगन ओदश नहीं हो तो नियमानुसार फीस जमा करवाकर पत्थरगढ़ी करवावे । तदानुसार आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2021 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर